

भूमि सुधार उपसमाहती का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

आवेद-पत्रक

(वेबे अभिलेख पत्रक 1991 के नियम 129)

आवेद पत्रक ता० से तक

केस का प्रकार TA Misc. Case No. 100/2010-20

आवेद पत्रक
संख्या क्रम
संख्या और
तारीख

आवेद और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आवेद पत्र की
मई कतईमई का
मांग दिनांकी
तारीख तान

१३.१.१९

आवेदक/आवेदिका अर्जुन बोरसा, पिता= मोन्डो बोरसा, जाति= छौ (अ.ज.जा.), ग्राम= झेचिन्खा, पो०= चैनपुर, थाना= चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानामपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(1) प्रोविजो "प"/"बी" के अंतर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। स्वतिसानी जमीन मौजा= झेचिन्खा, थाना नं०= 57, थाना= चक्रधरपुर, खाता नं०= 45, प्लॉट नं०= 530, रकबा= 07 डी, 556 वर्गकड़ी, केला सुनील माझी, पिता= माझिया माझी, जाति= संभाल (अ.ज.जा.), ग्राम= झेचिन्खा साई, थाना= चक्रधरपुर, जिला प० सिंहभूम के पास जमीन बली/भू-हस्तांतरण हेतु छोटानामपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोविजो "प./बी." के अंतर्गत अनुमति हेतु आवेदन समर्पित किया है जमीन का वितरण है:-

मौजा	थाना रं०	थाना	खाता रं०	प्लॉट रं०	रकबा एकड़ में
झेचिन्खा	57	चक्रधरपुर	45	530	07 डी, 556 वर्गकड़ी

आवेदक को 1,00,000/- (एक लाख) रुपये की आवश्यकता होने के कारण आवेदित भूमि का कुल रकबा 07 डी, 556 वर्गकड़ी को कुल कीमत 1,00,000/- (एक लाख) रुपये मात्र में छोटानामपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोविजो "प./बी." के अंतर्गत बिक्री करना चाहते हैं।

आम सूचना निर्गत करें और अंचल अधिकारी चक्रधरपुर से अपना जांच प्रतिवेदन स्पष्ट मंतव्य सहित दिनांक 1.1.2011 तक मांग करें।

अभिलेख दिनांक 1.1.2011 को उपस्थापित करें।

22.1.17

भूमि सुधार उपसमाहती,
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।